भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 310

30 नवंबर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना

†310. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्री डी. के. सुरेश:
श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत सहकारिताओं की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने यह नोट किया है कि सहकारी क्षेत्र भारतीय समाज में काफी पुराना है और यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा देश में सहकारी समितियों और सहकारिताओं की जड़ों को सुदृढ़ करने/सुचारू बनाने और सुधार करने के लिए कोई विजन/उद्देश्य/कार्य-योजना/प्रभावी नीतिगत रूपरेखा तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा जन-आधारित आर्थिक विकास ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी आंदोलन जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए किए गए/किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश में सहकारिताओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) 2018 के सांख्यिकीय प्रोफाइल के अनुसार गैर-क्रेडिट और क्रेडिट सहकारी समितियों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-क** पर है। केंद्र स्तर पर जिलावार सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ख): जी हाँ, महोदय। देश में सहकारिता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत के मद्देनजर सरकार ने एक नये सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है जिसका अधिदेश और अधिकार-क्षेत्र भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत दिनांक 6.7.2021 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित है:

"1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का समन्वय
2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" परिकल्पना को साकार करना
3. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना

4. देश के विकास के लिए, अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना
5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न रही लक्ष्यों वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन
9. सहकारिता विभागों और सहकारिता संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)"

(ग) एवं (घ): देश में राज्य सहकारी समितियां और बहु-राज्य सहकारी समितियां जैसे दो प्रकार के सहकारी ढांचे हैं। बहु-राज्य सहकारी समितियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और राज्य सहकारी समितियां राज्य सरकार के अधीन आती हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए शुरुआती दौर में निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है:

1. बहुराज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 का संशोधन,
2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण,
3. सहकारी क्षेत्र के शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को सुव्यवास्थित बनाना,
4. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं और सहकारी समितियों के मुद्दों का समन्वय और अभिसरण करना ।

अनुबंध क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-क्रेडिट सहकारिताएं	क्रेडिट सहकारिताएं	कुल योग
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1987	117	2104
आंध्र प्रदेश	70344	2874	73218
अरुणाचल प्रदेश	731	52	783
असम	6489	3757	10246
बिहार	30351	8818	39169
चंडीगढ़	225	18	243
छत्तीसगढ	10011	1353	11364
दादरा और नगर हवेली	244	40	284
दमन और दीव	97	9	106
दिल्ली	4924	1436	6360
गोवा	3393	429	3822
गुजरात	62866	14684	77550
हरियाणा	23814	758	24572
हिमाचल प्रदेश	2799	2595	5394
जम्मू और कश्मीर	1368	652	2020
झारखंड	9461	4394	13855
कर्नाटक	30512	10426	40938
केरल	16177	3086	19263
लक्षद्वीप	62	19	81
मध्य प्रदेश	39079	8336	47415
महाराष्ट्र	143372	62514	205886
मणिपुर	8907	330	9237
मेघालय	1309	246	1555
मिजोरम	1276	161	1437
नगालैंड	7298	1761	9059
उड़ीसा	14601	2729	17330
पुदुचेरी	396	136	532
पंजाब	13322	4115	17437
राजस्थान	21941	6518	28459
सिक्किम	5179	285	5464
तमिलनाडु	17849	6633	24482
तेलंगाना	64296	860	65156
त्रिपुरा	1778	289	2067
उत्तर प्रदेश	35605	12583	48188
उत्तराखंड	4848	775	5623
पश्चिम बंगाल	19839	13817	33656
कुल	676750	177605	854355

स्रोत: एन.सी.यू.आई, 2018

****